न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 53/2020 राजस्व अपील

1. बनवारीलाल पुत्र हजारीलाल जाति गुर्जर निवासी राणोली तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश उप तहसीलदार बहरावण्डा दिनांक 16.08.2018 मुकदमा उनवानी सरकार बनाम बनवारीलाल मु. नं. 59/2018 अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

उपस्थिति : श्री रामावतार गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
" : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांकः 25.03.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरूद्ध एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट ने सम्वत 2075 में ग्राम राणोली तहसील सिकराय में स्थित भूमि खसरा नम्बर 217 रकबा 0.01 है. किस्म चरागाह पर काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई व सबूत का मौका दिये बगैर ही निर्णय पारित कर अपीलान्ट को 90 दिन के सिविल कारावास की सजा व पेनल्टी से दण्डित करने के आदेश दिनांक 16.08.2018 को पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के उक्त निर्णय दिनांक 16.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व निर्णय खिलाफ कानूनी नियम उप नियम व पत्रावली के तथ्यों के विरूद्ध होने के निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया और न ही काश्त की है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं हुई है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट नवीन अतिक्रमी तथा आवास बनाकर व पडत कब्जा कर अतिक्रमण होना बताया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 16.08.2018 में

अति॰ जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलान्ट को काश्त किया जाकर अतिक्रमण करना तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई सुनवाई सबूत व जवाब पेश करने का मौका नहीं दिया जबकि सजा जैसे मुकदमे में पीडित पक्ष को सुनवाई व सबूत का मौका मिलना न्यायार्थ आवश्यक था। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई निर्णय व सबूत न होते हुये भी अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजा करने में कानूनन गलती की है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 16.08.2018 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने ग्राम राणोली में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 217 रकबा 0.01 है. भूमि पर आवास बनाकर व पडत कब्जा कर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट अतिकमी को अतिकमित आराजी से दिनांक 16.08.2018 को बेदखल कर शास्ति आरोपित करने के साथ ही 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली संख्या 59/2018 सरकार बनाम बनवारीलाल निर्णय दिनांक 16.08.2018 का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट नवीन अतिक्रमी होना तथा आवास बनाकर व पडत कब्जा कर अतिक्रमण होना बताया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 16.08.2018 में अपीलान्ट को काश्त किया जाकर अतिक्रमण करना तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण उप तहसीलदार बहरावण्डा को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा का निर्णय दिनांक 16.08.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण उप तहसीलदार बहरावण्डा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण का पुनः परीक्षण कर एवं अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर देते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(आर. के. मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 25.3.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया

(आर. के. मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा